# बगनासकाली गाउँपालिकाको
# आर्थिक ऐन- २०८१

# बगनासकाली गाउँपालिका
## गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
### चिर्तुङ्गधारा, पाल्पा
### लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Email: baganaskali.rural@gmail.com,
Website: https://baganaskalimun.gov.np/

# अनूसूची - ३

## गाउँसभाको सोह्रौं अधिवेशन मिति २०८१।०३।२६ गतेका निर्णय नं. ...... सँग सम्बन्धीत

# बगनासनकाली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

**प्रस्तावना** :- बगनासनकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा २ बमोजिम बगनासकाली गाउँसभाबाट स्वीकृति गरी यो ऐन लागू गरिएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** :-

(१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८१" रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८१ श्रावण १ गते देखि बगनासकाली गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति कर तथा भूमिकर** :- गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र देहाय बमोजिम सम्पत्ति कर र भूमीकर लगाइनेछ ।

(१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बनेका घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफलमा सम्पत्ति कर लगाइनेछ ।

(२) यस दफाको प्रयोजनका लागि घर भन्नाले घर,गोदाम,हल,टहरा, सेड जस्ता संरचनालाई सम्झनु पर्दछ

(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउन भनि तोकिएका जग्गा बाहेकका अन्य जग्गामा भूमीकर लगाइने छ ।

(४) आ.व.०८१/०८२ का लागि सम्पत्ति कर तथा भूमीकर प्रयोजनका लागि घर र जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर तथा मूल्यांकित रकममा लाग्ने सम्पत्ति करको दर अनुसूची (१) र (२) बमोजिम हुनेछ ।

(५) सम्पत्ति कर तथा भूमीकर सम्बन्धी थप व्यवस्था कार्यविधि अनुसार गरिनेछ ।

३. **घर वहाल कर** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै ब्यक्ति वा संघ संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा वहाल रकमको १० प्रतिशतका दरले अनुसूची (३) बमोजिम घर/जग्गा वहाल कर लगाईने छ ।

४. **व्यवसाय कर**:- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा व्यवसायको प्रकृति, पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाईनेछ ।

५. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर** :- गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तु र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन वा संकलन भएका पुनः प्रयोग हुन सक्ने मालबस्तु (रियुज) र प्रशोधन (रिसाइकल) पश्चात मात्र पुनः प्रयोग हुनसक्ने मालबस्तुमा अनुसूची (५) बमोजिमको दरमा कवाडी निकासी शुल्क लगाईने छ ।

६. **सवारी साधन कर** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइनेछ ।

७. **विज्ञापन कर** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जडान भएका होडिङ्ग वोर्ड, ग्लो साइनवोर्ड, भित्तेलेखन र ब्यानरमा अनुसूची (७) बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाइनेछ ।

८. **वहाल बिटौरी शुल्क** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिम बहाल विटौरी शूल्क लगाइने छ ।

(१) अव्यवस्थित रुपमा बसोबास भएका स्थानमा घरले चर्चेको जग्गा र जग्गामा निर्माण भएको घरको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन वापत वहाल विटौरी शूल्क लगाइनेछ ।

(२) उपदफा १ प्रयोजनका लागि आ.व. ०८१/०८२ का लागि घर जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर अनुसूची (१) र (२) को दरमा करको हिसाव गरिनेछ ।

(३) सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा संरचना बनाई व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसूची (८) बमोजिम वहाल विटौरी शुल्क लगाइनेछ ।

९. **पार्किङ शुल्क** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ्ग स्थल तोकी सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (९) बमोजिम पार्किङ्ग शूल्क लगाईने छ ।

१०. **ट्रेकिङ्ग,कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जीजम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टिङ्ग शुल्क** :- गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र किङ्गकोयोकिड, क्यानोइङ, बन्जीजमिपिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टिङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसूची (१०) बमोजिम शुल्क लगाईनेछ

११. **धार्मिक/पर्यटन स्थल दर्ता र अनुमति शुल्क तथा दस्तुर** :- गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराईने सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसुचिमा व्यवस्था भए अनुसार शूल्क लगाईनेछ ।

१२. **सडक मर्मत सुधार शुल्क** :- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गाउँपालिकाले निर्माण सञ्चालन गरेका सडकहरुमा चल्ने सवारी साधनमा अनुसूची -१२ बमोजिमको सेवा शुल्क लगाइनेछ ।

१३. **सेवा शुल्क तथा दस्तुर** :- कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सेवा उपलव्ध गराए वापत अनुसूची-१३ बमोजिम सेवा शुल्क तथा दस्तुर लिइनेछ ।

१४. **प्राकृतिक श्रोत उत्खनन/निकासी कर** :- नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा, मिस्कट) र निजी जग्गाबाट निकासी विक्री गरिने प्राकृतिक श्रोतजन्य मालबस्तुमा अनुसूची-१४ बमोजिम लुम्विनी प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिमको दर कायम गरिनेछ ।

१५. **सम्पत्ति भाडा** :- कार्यालयको सम्पत्ति तथा मेशिनरी उपकरणमा अनुसूची-१५ बमोजिमको भाडा दर कायम गरिएको छ ।

१६. **दण्ड जरिवाना** :- गाउँपालिकालाई मासिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर समयभित्र नवुझाएमा वा ऐन नियम विपरीत नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी, बालुवा,मिस्कट) निजी जग्गाको ढुंगा, माटो, मिस्कट अवैध रुपमा निकासी, विक्री गरेमा अनुसूचि-१६ बमोजिमको दरमा दण्ड जरिवाना तथा विलम्व शुल्क असुल गरिनेछ ।

१७. **कर छुट दिन सकिने** :-

१. यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिम कर छुट दिन सकिनेछ ।

(क) आ.व. ०८१/०८२ मा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, भूमिकर तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन शुल्क २०८१ आश्विन मसान्तभित्र बुझाएमा कर रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम र २०८१ पौष मसान्तभित्र वुझाएमा ५ प्रतिशतले हुने रकम छुट दिइनेछ ।

(ख) एकल महिलाको नाममा रहेको सम्पत्तिमा र कम्तिमा २० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने उत्पादनमुलक चालु उद्योगको नाममा रहेको सम्पत्तिमा लाग्ने कर रकममा १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ

२. यस ऐन बमोजिम व्यवसाय कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिम कर छुट दिन सकिनेछ ।

(क) आ.व. ०८१/०८२ मा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर ०८१ आश्विन मसान्तभित्रै वुझाएमा कर रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम र ०८१ पौष मसान्तभित्र वुझाएमा कर रकमको ५ प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ ।

(ख) कृषि उपज उत्पादन तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करको ५% ले हुने रकम छुट दिइनेछ ।

(ग) महिला मात्र सदस्य भएको सरकारी संस्थाको व्यवसाय करमा २५% छुट दिइनेछ ।

(घ) वातावरण प्रदुषण कम गर्ने प्लान्ट जडान गरी वातावरण कम गर्ने उद्योग र आफ्नो उत्पादन प्लाष्टिकको सट्टामा कपडा वा कागजमा प्याकिङ्ग गर्ने उद्योगलाई लाग्ने व्यवसाय करमा २५% ले हुने रकम छुट दिइनेछ ।

(ङ) क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा सत प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

१८. **कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धि कार्यबिधि** :- यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शूल्क संकलन सम्बन्धि कार्यबिधि गाउँ कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

## अनुसूची - १

(ऐनको दफा २ को उपदफा (२) संग सम्वन्धित)

| संरचनको किसिम | आर·सि·सि· फ्रेम स्ट्रक्चर | सिमेन्टको जोडाईमा इटा वा ढुंगाको गारो- आर· सि ·सि· छाना | माटोको जोडाईमा इटा वा ढुंगाको गारो- आ· सि· सि· वा सिमेन्ट जोडाईमा इटा वा ढुंगाको गारो- जस्ता/टायलको छाना | माटोको जोडाईमा इटा वा ढुंगाको गारो- जस्ता/टायलको छाना | सेड वा कच्ची घर |
|---|---|---|---|---|---|
| दर प्रति वर्ग फिट रु | ८००।- | ६००।- | ४००।- | ३००।- | २००।- |

## सम्पत्ति कर

अनुसूची - २

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)

| कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य | वार्षिक करको दर | |
|---|---|---|
| रु· ३ लाख सम्म | न्यूनतम रु· | १००।- |
| रु· ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु· | २००।- |
| पाँच लाख भन्दा माथि दश लाख सम्म | एकमुष्ठ रु· | ३००।- |
| दश लाख भन्दा माथि बिस लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु· | ४०।- |
| बिस लाख भन्दा माथि पचास लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु· | ४५।- |
| पचास लाख भन्दा माथि एक करोड सम्म | प्रतिलाख थप रु· | ५०।- |
| एक करोड माथि एक करोड पचास लाख सम्म | प्रतिलाख थप रु· | ५५।- |
| एक करोड पचास लाख भन्दा माथि दुई करोड सम्म | प्रतिलाख थप रु· | ६०।- |
| दुई करोड भन्दा माथि | प्रतिलाख थप रु· | ७०।- |

## भूमि कर (मालपोत)

| क्र· सं· | विवरण | अवल | दोयम | सीम | चाहार |
|---|---|---|---|---|---|
| १· | खेत (प्रति रोपनी) | २०।- | १५।- | १०।- | ५।- |
| २· | पाखो/बारी (प्रति रोपनी) | १६।- | १२।- | ८।- | ४।- |

## अनुसूची - ३
(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)
### घर/जग्गा बहाल कर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १· | **घर बहाल कर** | | |
| क्र· सं· | विवरण | करको दर | कैफियत |
| १· १ | घर भाडा वापत घरधनीले पाउने बहाल रकमको | १० % (प्रतिशत) | |
| २· | अन्य वहाल कर | १० % (प्रतिशत) | |
| २· १ | भवन, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी भाडामा लगाए वापत पाउने वहाल रकमको | १० % (प्रतिशत) | |

## अनुसूची - ४
(दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
### ब्यवसाय कर

| क्र· सं· | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १· | **उपभोग्य सामाग्री** (खुद्रा,किराना पसल) | | | |
| ११ | रु एक लाख सम्म पूँजी लगानी | २००।- | १००।- | |
| १·२ | रु दुई लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००।- | ३००।- | |
| १·३ | रु पांच लाख सम्म पूँजी लगानी | ८००।- | ५००।- | |
| १·४ | रु दश लाख सम्म पूँजी लगानी | १,१००।- | ७००।- | |
| २· | **किराना पसला थोक** | | | |
| २१ | रु ३० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,५००।- | १,५००।- | |
| २·२ | रु ३० लाख माथि पूँजी लगानी | ५,०००।- | २,५००।- | |
| ३· | **तरकारी तथा फलफुल पसल** | | | |
| ३१ | रु १ लाख सम्म पूँजी लगानी | २००।- | १००।- | |
| ३·२ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००।- | ३००।- | |
| ३·३ | रु २ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १,०००।- | ५००।- | |
| ४·१ | मासु र माछा पसल खुद्रा | १,०००।- | ५००।- | |
| ४·२ | फ्रेस हाउस, मासु पसल थोक विक्रेता | ३०००।- | १५००।- | |
| ५· | **ब्यापार** | | | |
| ५·१ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १,०००।- | ७००।- | |
| ५·२ | रु १० लाख भन्दा मागि पूँजी लगानी | १,५००।- | १,०००।- | |
| ५·३ | डोके/मोवाइल भाडा विक्रेता अनुमति | ५००।- देखि २,०००।- सम्म | | |
| ६· | **हार्डवेयर पसल** | | | |
| ६·१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,०००।- | १,०००।- | |
| ६·२ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | ३,०००।- | १,५००।- | |
| ६·३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ४,०००।- | २,०००।- | |
| ७ | रड, सिमेन्ट,कर्कतपाता रु १० लाख देखि २० लाख सम्म पूँजी लगानी । | ३,०००।- | १,५००।- | |
| ८· | रङ रोगन,शिशा, प्लाइउड विक्रेता एकमुष्ठ | ३,०००।- | १,५००।- | |
| ९· | विद्युतीय सामाग्री विक्री तथा मर्मत जस्तै ( टिभि·, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, मोवाइल लगायत अन्य) | | | |

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ९.१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००।- | १,०००।- | |
| ९.२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००।- | १,५००।- | |
| १०. | **विजुलीको सामान पसल** | | | |
| १०.१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००।- | १,०००।- | |
| १०.२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००।- | १,५००।- | |
| ११. | **सेनेटरी सामान पसल** | | | |
| ११.१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००।- | १,०००।- | |
| ११.२ | रु १० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००।- | १,५००।- | |
| १२. | **फर्निचर पसल** | | | |
| १२.१ | रु १० लाख सम्म पूँजी लगानी | १,५००।- | १,०००।- | |
| १२.२ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | २,०००।- | १,५००।- | |
| १२.३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २,५००।- | २,०००।- | |
| १३. | **कपडा पसल** | | | |
| १३. १ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १५००।- | १०००।- | स्थानीय तह घोषण हुनु पूर्व सम्वन्धित निकायमा र स्थानीय तह घोषणा भई सकेपछि नियमानुसार गाउँपालिका मा दर्ता भएका ब्यापार व्यवसाय, संघ संस्था र समूह समिति प्रत्येक आ. व. समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र नियमानुसार नविकरण गराई सक्नु पर्नेछ । त्यस पछि पौष मसान्तसम्म थप ५०% (प्रतिशत) र पौष मसान्त पछि सत प्रतिशत शुल्क लिई नविकरण गरिनेछ । |
| १३. २ | रु २० लाख सम्म पूँजी लगानी | ३०००।- | १५००।- | |
| १३. ३ | रु २० लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | ४०००।- | २०००।- | |
| १३. ४ | पोके (लत्ता कपडा विक्रेता) अनुमति | ५००-२०००।-सम्म | | |
| १४. | **फेन्सी पसल** | | | |
| १४. १ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | ५००।- | ३००।- | |
| १४. २ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००।- | ५००।- | |
| १४. ३ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १५००।- | १०००।- | |
| १५. | **आर्ट व्यवसाय, फोटो स्टुडियो** | | | |
| १५. १ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००।- | ५००।- | |
| १५. २ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १५००।- | १०००।- | |
| १६. | **गिफ्ट, स्टेशनरी, पुस्तक पसल** | | | |
| १६. १ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००।- | ५००।- | |
| १६. २ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | १५००।- | १०००।- | |
| १७ | **वर्कशप** | | | |
| १७ १ | मोटरसाइकल वर्कसप/टायर ट्युव मर्मत | १०००।- | ५००।- | |
| | अन्य चारपाङ्ग्रे समेतको वर्कसप | १५००।- | १०००।- | |
| १८. | व्युटीपार्लर तथा कस्मेटिक पसल | १०००।- | ५००।- | |
| २०. | सुन चाँदी पसल एक मुष्ठ | ३,०००।- | २,०००।- | |
| २१. | टेण्ट हाउस र क्याटरिङ्ग एक मुष्ठ | २०००।- | १५००।- | |
| २२.१ | स्थानीय मदिरा विक्री मूल्यमा २५%ले लगाउने) | | २५% | |
| २२.२ | मदिरा पसल | १५००।- | १०००।- | |
| २३. | **कपडा पसल तथा सिलाई कटाई सहित** | | | |
| २३. १ | रु २ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००।- | ५००।- | व्यवसाय प्रमाण पत्रमा व्यवसाय वा कारोवार पुँजी थप गर्दा शुरुको |
| २३. २ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १५००।- | १०००।- | |
| २३. ३ | रु ५ लाख भन्दा माथि २० लाख सम्म पूँजी लगानी | २०००।- | १५००।- | |
| २३. ४ | सिलाई/टेलरिङ्ग सेन्टर (एकमुष्ठ) | १०००।- | ५००।- | |

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २४. | **सैलुन एक मुष्ठ** | १०००।- | ५००।- | दर्ता दस्तुर बरावरको रकम लाग्नेछ । |
| २५. | व्युटीपार्लर ट्रेनिङ्ग सेन्टर | १५००।- | १०००।- | |
| २६. | डोको, नाम्लो, भकारी, प्लाष्टिक तथा वेतवासका सामानहरु एकमुष्ठ | ५००।- | २००।- | |
| २७ | **कवाडी व्यवसाय एक मुष्ठ** | २०००।- | १०००।- | |
| २८. | वैकल्पिक ऊर्जा एकमुष्ठ | २०००।- | १०००।- | |
| २९. | चश्मा पसल एकमुष्ठ | १०००।- | ५००।- | |
| ३०. | **कृषि तथा पशु सेवा तर्फ एकमुष्ठ** | | | |
| ३०. १ | रु ५ लाख सम्म पूँजी लगानी | १०००।- | ५००।- | |
| ३०. २ | रु ५ लाख भन्दा माथि पूँजी लगानी | २०००।- | १०००।- | |
| ३०. ३ | पोल्ट्री फर्म एकमुष्ठ | १५००।- | ८००।- | |
| ३०. ४ | कृषि/पशु फर्म एकमुष्ठ | १०००।- | ५००।- | |
| ३०. ५ | रासायनिक मल विक्रेता सहकारी | १०००।- | ५००।- | |
| ३१. १ | एग्रोभेट दर्ता एकमुष्ठ | १०००।- | ५००।- | |
| ३१. २ | कृषि उपकरण मर्मत सेन्टर एकमुष्ठ | १०००।- | ५००।- | |
| ३१. ३ | विऊ विजन, दाना, चल्ला विक्री भेटेनरी सेवा, नर्सरी समेतको क्षेत्र | १५००।- | १०००।- | |
| ३१. ४ | कृषि समूह दर्ता | २००।- | १००।- | |
| ३१. ५ | कृषि समूह दर्ता खारेजी | २००।- | | |
| ३१. ६ | मलखाद विक्रेता दर्ता सिफारिस | ५००। | | |
| ३१. ७ | गाई,भैंसी स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा | | १००।- | |
| ३१. ८ | भेडा,बाखा,बंगुर,कुकुर,विराला खरायो लगायतका चौपाया परामर्श सेवा | | १००।- | |
| ३१. ९ | हास,कुखुरा,परेवा लगायत पंक्षीहरु परामर्श | | १००।- | |
| ३१.१० | प्रयोगशाला सेवा | | १००।- | |
| ३१. ११ | बोका वन्ध्याकरण | | १००।- | |
| ३१. १२ | साँढे बन्ध्याकरण | | २००।- | |
| ३१. १३ | कृत्रिम गर्भाधान सेवा | | १००।- | |
| ३१.१४ | गर्भ परीक्षण | | १००।- | |
| ३१.१५ | नर्सरी विरुवा विक्री वितरण फर्म | १०००।- | ५००।- | |
| ३२. | **होटल ब्यवसाय तर्फ :** | | | |
| ३२. १ | सुविधा सम्पन्न व्यवसायिक रिसोर्ट | ५०००।- | ३०००।- | |
| ३२. २ | सुविधा सम्पन्न खाना तथा बासको व्यवस्था भएको | ३०००।- | २०००।- | |
| ३२. ३ | स-साना खाजा तथा खाना, चिया पसल | १०००।- | ५००।- | |
| ३२. ४ | घुम्ती तथा ठेला पसल | | २००।- | |
| ३३. | **स्वास्थ्य सेवा तर्फ :** | | | |
| ३३. १ | क्लिनिक | २०००।- | १०००।- | |
| ३३. २ | औषधी पसल थोक विक्रेता | ४०००।- | २०००।- | |
| ३३. ३ | औषधी पसल खुद्रा विक्रेता | २०००।- | १०००।- | |
| ३३.४ | नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होम | २०,०००।- | १०,०००।- | |
| ३३. ५ | नीजि क्लिनिक तथा ल्याव सेवा | २०००।- | १०००।- | |
| ३४. | **कम्पनी तर्फ :** | | | |
| ३४. १ | विज्ञापन एजेन्सी | २०००।- | १०००।- | |

| क्र· सं· | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३४· २ | सप्लायर्स ∕ कन्सल्टेन्सी ∕ कम्पनी | ३०००।- | २०००।- | |
| ३४· ३ | वोर्डिङ्ग स्कुल (आधारभूत १-८) | २०००।- | | |
| ३४· ४ | वोर्डिङ्ग स्कुल माध्यमिक | ३०००।- | | |
| ३४· ५ | निजी क्याम्पस, उच्च मा· वि· | ५०००।- | | |
| ३४· ६ | पूर्व आधारभूत तह (मन्टेश्वरी) | १०००।- | | |
| ३४· ७ | कानूनी परामर्श तथा लेखापढी सेवा | १०००।- | ५००।- | |
| ३४·८ | इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा | ३०००।- | २०००।- | |
| ३४·९ | शैक्षिक परामर्श सेवा | १०००।- | ५००।- | |
| ३४·१० | कम्प्युटर,फोटोकपी,ट्युशन,भाषा शिक्षण सेवा | १०००।- | ५००।- | |
| ३४·११ | Ncell एन सेल टावर सूचिकृत | २,०००।- | २०,०००।- | |
| ३४·१२ | इन्टरनेट टावर सूचिकृत | १,०००।- | ३,०००।- | |
| ३४·१३ | केवुल प्रसारण कम्पनी सूचिकृत | १,०००।- | ३,०००।- | |
| ३५· | **वित्तिय संस्था तर्फ :** | | | |
| ३५· १ | क वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | २,०००।- | ५,०००।- | |
| ३५· २ | ख वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,५००।- | ३,०००।- | |
| ३५· ३ | ग वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,२००।- | २,०००।- | |
| ३५· ४ | घ वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्था सूचिकृत | १,०००।- | १,०००।- | |
| ३५· ५ | शाखा रहित वैकिङ्ग सेवा सूचिकृत | ५००।- | ५००।- | |
| ३५· ६ | लघु वित्तीय संस्था सूचिकृत | १०००।- | १,०००।- | |
| ३६· | **सहकारी संस्था लि· तर्फ :** | | | |
| ३६· १ | विनियम संसोधन | | ५००। | |
| ३६· २ | विनियम पुनर्लेखन | | १०००। | |
| ३६· ३ | सहकारी संघ संस्था कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमती पत्र दस्तुर | | ५००।०० | |
| ३६· ४ | रेमिटेन्स सेवा वार्षिक | | १,०००।- | |
| ३६· ५ | वीमा कम्पनी सूचिकृत | ५,००।- | १,०००।- | |
| ३६· ६ | सामुदायिक , निजी वन दर्ता शुल्क | १०००। | | |
| ३७ | **उद्योग तर्फ :** | | | |
| ३७ १ | पाउरोटी, आईसक्रिम, विस्कुट, चाउमिन,साबुन तथा दालमोट लगायतका उद्योग | २,५००।- | १,५००- | |
| ३७ २· | पोलिथिन पाईप तथा अन्य प्लाष्टिक उद्योग | ५,०००।- | ३,०००।- | |
| ३७ ३ | स्टील तथा काष्ठ फर्निचर निर्माण उद्योग | ३,०००।- | २,०००।- | |
| ३७ ४ | ह्युम पाईप, विद्युत पोल, तारवार पोल, सिमेन्ट व्लक र सिमेन्ट सिमेन्ट रेलिङ उद्योग | ५,०००।- | ३,०००।- | |
| ३७ ५ | मैनबत्ति तथा अगरबत्ति उद्योग | १,०००।- | ५००।- | |
| ३७ ६ | मसला उद्योग | १,०००।- | ५००।- | |
| ३७ ७ | ढुंगा, बालुवा, गिट्टी खानी संचालन सिफारिस | | १०,०००।- | |
| ३७ ८ | झोला उद्योग | २,०००।- | १,०००।- | |
| ३७ ९ | डेरी उद्योग तथा (दुग्ध सम्बन्धी)अन्य व्यवसाय | २,०००।- | १०००।- | |
| ३७१० | ग्रील सटर उद्योग | ३,०००।- | १५००।- | |
| ३७११ | मील (कुटानी, पिसानी, पेलानी) | १,०००।- | ५००।- | |
| ३७१२ | पानी घट्ट | ५००।- | २००।- | |
| ३७१३ | कुटानी पिसानी सानो मील | ३००।- | १००।- | |

| क्र. सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | वार्षिक कर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३७१४ | क्रसर उद्योग वार्षिक (अस्थायी) | | ३०,०००।- | |
| ३७१५ | वालुवा धुने उद्योग वार्षिक | | १५,०००।- | |
| ३७१६ | ग्यास उद्योग प्रति सिलिण्डर | | १।- | |
| ३७१७ | बालुवा खानी तथा ढुंगाखानी दर्ता सिफारिस दस्तुर | | १०,०००।- | |
| ३७१८ | बालुवा खानी तथा ढुंगाखानी नविकरण सिफारिस दस्तुर | | ३,०००।- | |
| ३७१९ | बालुवा तथा ढुंगा खानी नामसारी सिफारिस दस्तुर | | ५,०००।- | |
| ३७२० | इटा र टायल उद्योग सञ्चालन दस्तुर | | ५,०००।- | |
| ३७२१ | मादल खैंजडी लगायत स्थानीय बाजा निर्माण मर्मत तथा विक्री | १,०००।- | ५००।- | |
| ३७२२ | सिरक डसना उद्योग | २,०००।- | १,५००।- | |
| ३७२३ | छाल जुत्ता उत्पादन तथा विक्री पसल | १,०००।- | ५००।- | |
| ३८. | **निर्माण व्यवसायी आवद्धता दस्तुर (सूचिकृत)** | | | |
| ३८. १ | क श्रेणी | २५,०००।- | | |
| ३८. २ | ख श्रेणीको | १५,०००।- | ० | |
| ३८. ३ | ग श्रेणीको | १०,०००।- | ० | |
| ३८. ४ | घ श्रेणीको(गा. पा. मा दर्तानभएका हकमा) | १०,०००।- | ० | |
| ३८. ५ | घ श्रेणीको (गा. पा. मा दर्ता भएका) | ५,०००।- | ० | |
| ३९. | ट्रान्सपोर्ट सेवा | ३,०००।- | २,०००।- | |
| ४०. | व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी | दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत | | |
| ४१. | ब्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रमा व्यवसाय वा कारोवार थप | शुरुको दर्ता दस्तुर बराबरको रकम | | |
| | माथि उल्लेख हुन छुट भएका व्यवसायहरुलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी उक्त प्रकृतिसँग मेल खाने किसिमको दरमा रु ५००। देखि रु १०,०००।- सम्म लिने । | | | |

**अनुसूची - ५**

(दफा ६ संग सम्वन्धित)

**जीव जन्तु, जडिबुटी र कवाडी कर**

| क्र. सं. | विवरण | दर (रु) | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | **चौपाया, चखेरु जन्य पदार्थ एवं अङ्ग** | | | |
| ११ | हाड प्रति के जी | १।- | | |
| १.२ | सिङ प्रति के जी. | २।- | | |
| १.३ | खुर प्रति के जी. | २।- | | |
| १.४ | छाला सानो (भेडा बाखा) प्रति के जि. | १५।- | | |
| १.५ | छाला ठूलो (गाई भैंसी) प्रति के जि. | २५।- | | |
| १.६ | हास, कुखुरा जस्ता पंक्षीहरुको प्वाँख प्रति के जी. | १।५० | | |
| २. | **वन पैदवार** | | | |
| २.१ | वन नियमावलीले तोकेको जडीवुटी प्रति के जी. | ।२५ | | |
| २.२ | बनकस, अम्रिसो, कुचो, बावियो, पराल, लोक्ता र निगालो प्रति के जी. | ५।- | | |
| २.३ | खोटो (लिसा) प्रति के जि. | ।५० | | |
| २.४ | सालको विया प्रति के जी. | ।७५ | | |

| क्र. सं. | विवरण | दर (रु) | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २.५ | सल्लाको सिम्टा प्रति के जि. | ।२५ | | |
| ३. | **कवाडी संकलन** | | | |
| | स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रुपमा पुन:प्रयोग (Re-Use)गर्ने देहायका बस्तुमा देहाय बमोजिम संकलन दर तोकिएको छ : | | | |
| ३.१ | खाली शिशी लगायतका पुराना सामान संकलन अनुमति | एकमुष्ठ | १,०००।- | |
| ३.२ | खाली सिसी वियर बोतल | प्रति गोटा | १।- | |
| ३.३ | खाली शिशी (चिसो पेय) प्रति गोटा | प्रति गोटा | १।- | |
| ३.४ | खाली शिशी (मदिरा र अन्य) ५०० एम. एल. भन्दा माथि | प्रति गोटा | ।५० | |
| ३.५ | खाली शिशी (मदिरा र अन्य) ५०० एम. एल. भन्दा तल | प्रति गोटा | ।२५ | |
| ३.६ | प्लाष्टिक(बोतल,भाँडाकुँडा,परानाजुत्ताचप्पल,ग्यालेन,जर्किन) | प्रति किलो | ३।- | |
| | **खाली बोरा :** | | | |
| ३.७ | ५० के. जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टिक बोरा | प्रति गोटा | ।२५ | |
| ३.८ | ५० के. जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा | प्रति गोटा | २।- | |
| ३.९ | १०० के जी सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा | प्रति गोटा | ५।- | |
| ३.१० | १० लिटर भन्दा वढी अट्ने तेलको टिन ठूलो | प्रति गोटा | २।- | |
| ३.११ | १० लिटर भन्दा कम अट्ने तेलको टिन सानो | प्रति गोटा | १।- | |

प्रशोधन गरि पुन: प्रयोग हुन सक्ने देहायका कवाडी मालसामानमा देहाय बमोजिमको दर कायम गरिएको ।

| क्र. सं. | माल बस्तुको विवरण | इकाई | दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा | प्रति के जि. | २।- | |
| २. | जलेको मोविल | प्रति लिटर | १।- | |
| ३. | जुट र प्लाष्टिकका बोरा | प्रति के जी. | ०।२० | |
| ४ | कार्पेटका टुक्रा | प्रति के जी. | २।- | |
| ५. | टायर ट्युव | प्रति के जी. | २।- | |
| ६. | थोत्रो टिन | प्रति के जी. | ।५० | |
| ७ | पुरानो ड्रम | प्रति के जी. | १।- | |
| | **पुराना कागज :** | | | |
| ८. | अखबार न्यूजप्रिन्ट | प्रति के जी. | ५।- | |
| ९. | अन्य कागज (कार्टुन समेत) | प्रति के जी. | १।- | |
| | **धातुका टुक्राहरु र पत्रु भई काम नलाग्ने भएका धातुका सामानहरु** | | | |
| १० | फलाम | प्रति किलो | ५।- | |
| ११ | तामा | प्रति किलो | १००।- | |
| १२ | पित्तल | प्रति किलो | ५०।- | |
| १३ | सिल्भर, गिल्टी ढलोटका पुराना भाडा कुँडा | प्रति किलो | २५।- | |
| १४ | काँशका पुराना भाडा कुँडा | प्रति किलो | १००।- | |
| १५ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार | प्रति किलो | २।- | |
| १६ | पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु | प्रति किलो | १।- | |
| १७ | सिसा लिड) को धुलो वा टुक्रा | प्रति किलो | ४।- | |
| १८ | काँचको धुलो र टुक्रा | प्रति किलो | १।- | |

निकासी कर :

| क्र.सं. | सामानको विवरण | इकाई | दर रु |
|---|---|---|---|
| १ | दालचिनी पात | प्रति किलो | ।५० |
| २ | दालचिनी बोक्रा | प्रति किलो | १।- |

## अनुसूची - ६
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)
## सवारी साधन कर

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने देहायका सवारी साधनमा पहिलो पटक सवारी दर्ता र वार्षिक रुपमा नविकरण गर्दा लाग्ने करको दर निम्न अनुसार हुनेछ :

| क्र. सं. | सवारी साधनको किसिम | दर्ता तथा इजाजत | वार्षिक कर |
|---|---|---|---|
| १. | अटोरिक्सा | रु १,०००।- | ५००।- |
| २. | विद्युतीय रिक्सा | रु १,०००।- | ५००।- |
| ३. | रिक्सा तथा ठेला | रु ५००।- | २००।- |

## अनुसूची - ७
## विज्ञापन कर

| क्र. सं. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | ग्लो साइनवोर्ड, डिपिएस वोर्ड प्रति वर्ग फिट | रु २०।०० | |
| २. | व्यानर (वढीमा एक महिनासम्मको लागि) प्रति गोटा | रु २००।०० | |
| ३. | आफ्नो व्यवसायको पहिचानको लागि व्यवसाय स्थलमा राखेको साइनवोर्डको | कर नलाग्ने | |

## अनुसूची - ८
(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)
## बहाल विटौरी शुल्क

गाउँपालिका क्षेत्रमा आफुले निर्माण, रेखदेख र सञ्चालन गरेको हाटबजार, सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक बाटोको छेउछाउमा अस्थायी पसल थाप्न दिए वापत प्रति वर्ग फिटका दरले मासिक/वार्षिक वहाल बिटौरी शुल्क लिइनेछ ।

| क्र. सं. | विवरण | करको दर रु (वार्षिक) |
|---|---|---|
| १. | व्यापार प्रयोजनलाई प्रति वर्गफुट | १०।- |
| २. | आवासीय प्रयोजनलाई प्रति वर्गफुट | ५।- |

सिद्धार्थ राजमार्गको सडक क्षेत्राधिकार भित्र परि सडकको नाउँमा लगतकट्टा भएका, सडक क्षेत्राधिकार भित्र परेका घर/जग्गाको वहाल विटौरी शूल्कको दर देहाय बमोजिम बहाल विटौरी शुल्क लिइने छ ।

(१) सिद्धार्थ राजमार्ग सडकमा पर्ने लगत कट्टा क्षेत्रका आवास प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फिट रु.१।- ( एक रुपैया)

(२) सिद्धार्थ राजमार्ग सडकमा पर्ने लगत कट्टा क्षेत्रका व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फिट रु.२।- (दुई रुपैया)

(३)गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य सडक मापदण्ड भित्रका आवासी प्रयोजनको लागि प्रति वर्गफिट रु. ।५० (पचास पैसा)

(४)गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य सडकमा पर्ने लगत कट्टा क्षेत्रका व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फिट रु.१।- (एक रुपैया)

## अनुसूची - ९
(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)
## पार्किङ्ग शुल्क

| क्र. सं. | विवरण | शुल्कको दर रु (प्रतिदिन/पटक) |
|---|---|---|
| १. | ४ चार पांग्रे ठुला सवारी साधन | ३०।- |
| २. | चार पांग्रे मझौला सवारी साधन | २५।- |
| ३. | दुई पांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कुटर) | १०।- |

## अनुसूची - १०

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

**ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ,क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग,जिपफल्यायर तथा ऱ्याफ्टिङ्ग शुल्क**

१) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ,क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग,जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु १,०००।- (एक हजार रुपैंया)

२) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ,क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग,जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार दर्ता शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु २,०००।- (दुई हजार रुपैंया)

३) ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ,क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग,जिपफल्यायर र रोपवे जल विहार नविकरण शुल्क - प्रतिटिम प्रति पटक रु १,०००।- (एक हजाररुपैंया)

## अनुसूची - ११

(दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

**धार्मिक/पर्यटन स्थल दर्ता र अनुमति शुल्क**

| **मठ, मन्दिर शिवालय, चर्च, गुम्वा, मस्जिद** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रसं | विवरण | दर्ता शुल्क रु | नविकरण | कैफियत |
| १ | सन्तोक बौद्ध गुम्बा धार्मिक क्षेत्र | ५००।- | ३००।- | |
| २ | माडी लालपाटी माण्डव्य तपोभूमि नौबिसे | ५००।- | ३००।- | |
| ३ | नायरकोट, पारिडाँडा, वामरीकोट पर्यटन पूर्वाधार | ५००।- | ३००।- | |
| ४ | नायरडाँडा | ५००।- | ३००।- | |
| ५ | कोटघर, बामरीकोट, तिनछागा पैदल मार्ग, चमेरे गुफा | ५००।- | ३००।- | |
| ६ | महामृत्युञ्जय शिवासन मन्दिर | ५००।- | ३००।- | |
| ७ | बगनासकाली गाउँपालिका भित्र अवस्थित स्थानीय मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, देवालयहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि | ५००।- | ३००।- | |
| ८ | सिद्ध गुफा राम्दी | ५००।- | ३००।- | |

## अनुसूची - १२

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

**सडक मर्मत सुधार सेवा शुल्क**

गाउँपालिकाका निम्न सडकहरुमा देहायको दरमा सडक मर्मत सुधार सेवा शुल्क लिइनेछ :

१) मुख्य सडक रकम रु

२) शाखा सडक रकम रु

३) ग्रामीण सडक रकम रु

**सेवा शुल्कको दर :**

| सि नं | सवारी साधन | वार्षिक दर्ता रु | वार्षिक नविकरण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ढुवानी सेवा साना गाडीहरु | १,०००।- | ५००।- | |
| २ | ढुवानी सेवा ठुला गाडीहरु | २,०००।- | १,०००।- | |

**अनुसूची - १३**

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

**सेवा शुल्क तथा दस्तुरको दर**

| सि· नं· | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु· | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | **अन्य सिफारिस दस्तुर** | | |
| १· | मन्त्रालय/विभाग/संघ | १००।०० | |
| २· | मन्त्रालय/विभाग/प्रदेश | १००।०० | |
| ३ | डिभिजन | १००।०० | |
| ४ | अन्य | १००।०० | |
| ५ | घर/भवनका नक्सापास पुस्तिका | ५००।०० | |
| ६ | घर/भवनको सम्पन्न प्रमाण पत्र दस्तुर | ५००।०० | |
| ७ | घर/भवनको नक्सापास प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | ५००।०० | |
| ८ | संस्थागत सिफारिश | १००।०० | |
| ९ | नयाँ नागरिकता सिफारिस | १००।०० | |
| १० | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश | १००।०० | |
| ११ | मुचुल्का सहितको नागरिकता सिफारिश | ३००।०० | |
| १२ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिश | ५००।०० | |
| १३ | प्रहरी मुचुल्का सिफारिश | १००।०० | |
| १४ | चार किल्ला प्रमाणित (बाटोसँग जोडिएको) | ३००।०० | |
| | चार किल्ला प्रमाणित (बाटोले नछोएको) | २००।०० | |
| १५ | घर वाटो सिफारिश | २००।०० | |
| १६ | फोटो सहितको नाता प्रमाणित (नेपालीमा) | २००।०० | |
| | फोटो सहितको नाता प्रमाणित (अंग्रेजीमा) | ४००।०० | |
| १७ | जग्गा नामसारी/श्रेस्ता कायम सिफारिश | २००।०० | |
| १८ | वेपत्ता नागरिकको जग्गा नामसारी सिफारिश | ५००।०० | |
| १९ | भारत जाने आउने सफिारिश | ३००।०० | |
| २० | संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर | ५००।०० | |
| २१ | संस्था नवीकरण सिफारिस | ३००।०० | |
| २२ | वैदेशिक प्रयोजनको लागि सिफारिश | ५००।०० | |
| २३. | विद्युत मिटर सिफारिश | १००।०० | |
| २४. | उद्योग दर्ता सिफारिश | १०००।०० | |
| २५. | व्यापार व्यवसाय दर्ता सिफारिश (वडा वाट गा.पा. मा) | २००।०० | |
| २६. | कुटानि पिसानि, पेलानी मिल दर्ता (ठूलो) | १,०००।०० | |
| २७. | कुटानी पिसानी मिल दर्ता (सानो) | ३००।०० | |
| २८. | स (काठ) मिल दर्ता सिफारिस | १,०००।०० | |
| २९. | अपुताली सिफारिश | १,०००।०० | |
| ३०. | मोही लगत कट्टा सिफारिश | २००।०० | |
| ३१. | घर कायम सिफारिस | २००।०० | |
| ३२. | छात्रवृत्ति सिफारिश, स्वदेश र विदेशको लागि | १००।-/५००।- | |
| ३३. | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस | १००।०० | |
| ३४. | अपाङ्ग/गम्भीर प्रकृतिका रोग, प्रकोप जन्य तथा सामाजिक | निशुल्क | |

| सि· नं· | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|
| | सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिश | | |
| ३५. | अस्थायी वसोवास सिफारिश | २००।०० | |
| ३६. | स्थायी बसोवास सिफारिश | २००।०० | |
| ३७. | आर्थिक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता सिफारिश | ५००।०० | |
| ३८. | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता सिफारिश | १००।०० | |
| ३९. | धारा जडान सिफारिश | २००।०० | |
| ४०. | जीवित रहेको सिफारिश | २००।०० | |
| ४१. | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने र जन्म मिति प्रमाणित | २००।०० | |
| ४२. | जग्गा मूल्याङकन सिफारिश/प्रमाणित | ५००।०० | |
| ४३. | व्यवसाय वन्द सिफारिश | २००।०० | |
| ४४. | व्यापार व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिश | २००।०० | |
| ४५. | कोट फि मिनाहा सिफारिश | नि:शूल्क | |
| ४६. | नावालक परिचय पत्र सिफारिश | १००।०० | |
| ४७. | गाउँपालिकाबाट बाहिर चौपाया खरिद विक्री सिफारिश | १००।०० | भैंडा बाखा प्रतिगोटा |
| ४७.१ | गाउँपालिकाबाट बाहिर चौपाया खरिद विक्री सिफारिश | ३००।०० | गाई/भैंसी प्रतिगोटा |
| ४८. | उद्योग ठाउँसारी सिफारिश | ५००।०० | |
| ४९. | आन्तरिक वसाईसराइ सिफारिश | २००।०० | |
| ५०. | विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिश | ३००।०० | |
| ५१. | निजी विद्यालय स्थापना अनुमति सिफारिस | ५,०००।०० | |
| ५१·१ | तह थप सिफारिस | २,५००।०० | |
| ५१·२ | कक्षा थप सिफारिस | २,०००।०० | |
| ५१·३ | स्कुल बस खरिद सिफारिस | १,०००।०० | |
| ५१·४ | प्राविधिक शिक्षा विषय थप सिफारिस | १,०००।०० | |
| ५२· | सामु. विद्यालय तर्फ सरुवा महमति सिफारिस | २००।०० | |
| | मार्कसिट प्रतिलिपी दस्तुर | १५०।०० | |
| ५३· | पारिवारीक/व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | ३००।०० | |
| ५४ | जग्गा दर्ता सिफारिस | ३००।०० | |
| ५५ | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | २००।०० | |
| ५६ | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | २००।०० | |
| ५७ | नेपाल सरकारको नाममा वाटो कायम सिफारिस | ३००।०० | |
| ५८ | कोठा खोल्ने कार्यमा रोहवरमा वस्ने | २००।०० | |
| ५९ | निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश | नि:शूल्क | |
| ६० | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने सिफारिस | ३००।०० | |
| ६१ | विवाह प्रमाणित | ३००।०० | |
| | अविवाहित प्रमाणित | ३००।०० | |
| ६२ | घरायसी लेनदेन तमसुक/मन्जुरीनामा प्रमाणित | २००।०० | |
| ६३ | जात/जाती प्रमाणित (जनजाती/दलित/खस आर्य) | २००।०० | |

| सि· नं· | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|
| ६४ | अंग्रेजिमा सिफारिश | ५००।०० | |
| ६५ | जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्रतिलिपी सिफारिस | २००।०० | |
| ६६ | वैंक खाता संचालन/वन्द सिफारिश | १००।०० | |
| ६७ | संघ संस्था नवीकरण सिफारिस दस्तुर | ३००।०० | |
| ६८ | सघ संस्था नवीकरण सिफारिश दस्तुर (जरिवाना) एक आ·व· मा नवीकरण नभएको अवस्थामा | ३००।०० | |
| ६९ | अन्य जिल्लामा दर्ता भइ यस गा·पा· मा कार्यक्रम गर्ने गै·स·स· सिफारिश दस्तुर | ५००।०० | |
| ७० | रु· १० लाख सम्म को कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने | १०००।०० | |
| ७१ | कागजात तथा अभिलेख प्रमाणित दस्तुर | ५००।०० | |
| ७२ | मुद्दा दर्ता दस्तुर | १००।०० | |
| ७३ | योजना संचालन पुस्तिका | ५००।०० | |
| ७४ | पुन: निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (पक्की) | ५००।०० | |
| ७५ | गा·पा·का स्वीकृत कार्यक्रम भित्रका सामान्य सिफरिस | निशुल्क | |
| ७६ | सेवाप्रदायक संघ/संस्थाहरु(निर्माण,सप्लायर्स,विक्रेता)सूचिकृत दस्तुर | ५००।०० | |
| ७७ | नेपाली पेन्सन सिफारिस दस्तुर | ३००।०० | |
| ७८ | भारतीय पेन्सन सिफारिस दस्तुर | ५००।०० | |
| ७९ | बृटिस पेन्सन सिफारिस दस्तुर | १०००।०० | |
| ८० | सबै प्रकारका मुचुल्का | ३००।०० | |
| ८१ | परीक्षा शुल्क (निम्न स्तर, सहायक स्तर, अधिकृत स्तर) | लोकसेवाको नियमानुसार | |
| | **व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर** | | |
| १ | घटना दर्ता ३५ दिन भित्र | नि:शुल्क | |
| २ | घटना दर्ता ३५ दिन नाघेपछि | २००।- | |
| ३ | घटना दर्ता प्रतिलिपी | ५००।- | |
| ४ | नाम,थर जन्ममिति संशोधन सिफारिस | ३००।- | |
| ५ | घटनादर्ता प्रमाणीकरण | ५००।०० | |
| | **जलश्रोत समितिबाट निर्णय भई आएका विभिन्न प्रकारका जलश्रोत उपभोक्ता संस्थाहरुको दर्ता/नविकरण तथा प्रमाणपत्र दस्तुर** | दर्ता शुल्क तथा दस्तुर रु· | नविकरण दस्तुर रु· |
| १· | खानेपानी तथा सिंचाईको मुहान दर्ता/नविकरण | १०००।- | ५००।- |
| २ | लघु जलविद्युत ५ किलोवाट देखि १० किलोवाट सम्मको दर्ता | ३०००।- | १५००।- |
| ३ | प्रमाण पत्र प्रतिलिपी | ५००।- | |
| | **घ बर्गको इजाजत पत्र दर्ता/नविकरण** | | |
| १ | इजाजतपत्र दर्ता दस्तुर | १५,०००।- | |
| २ | इजाजतपत्र नामसारी दस्तुर | ७,०००।- | |
| ३ | नवीकरण दस्तुर (असोज मसान्तसम्म ३,०००।- सो पछि दोब्बर) | | ३,०००।- |
| ४ | नवीकरण दस्तुर आर्थिक वर्ष काटे पछि | | ८,०००।- |
| ५ | इजाजत पत्र प्रतिलिपि | २०००।- | |
| | **लेखापरीक्षक सूचिकृत शुल्क** | | |
| १ | क. वर्ग | २,५००।- | |

| सि· नं· | विवरण | शुल्क तथा दस्तुरको दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|
| २ | ख. वर्ग | २,०००।- | |
| ३ | ग. वर्ग | १,५००।- | |
| ४ | घ. वर्ग | १,०००।- | |
| | **सम्पत्ति मूल्यांलन** | | |
| १ | रु. ५ लाख सम्मको | १,०००।- | |
| २ | रु. ५ लाख देखी माथि प्रति लाख रु.१००।- थप | १००।- | |
| | **अन्य दर्ता दस्तुर** | | |
| १ | आमा समूह दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| २ | टोल विकास संस्था दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| ३ | माछा पालन समूह दर्ता | ५००।- | २५०।- |
| ४ | उपभोक्ता समिति दर्ता | ३००।- | १५०।- |
| ५ | विनियम संशोधन | ५००।- | |
| | **आम्दानी प्रमाणित दस्तुर** | | |
| १ | रु· १ लाख सम्म | ५००।- | |
| २ | रु· १ लाख भन्दा माथि प्रति लाख थप रु· १००।- | १००।- | |
| | **काठ कटानी तथा विक्री/निकासी सिफारिस** | आन्तरिक विक्री | वाह्य निकासी |
| १ | सुकेढलेका साल/सिसौको काठ निकासी प्रतिरुख | २००।- | २००।- |
| २ | खयर, चाँप १० रुख सम्म (प्रतिरुख २००आन्तरिक ) | २,०००।- | २,२००।- |
| ३ | १० रुख भन्दा माथि प्रति रुख थप रु.३००।- | ३००।- | |
| ४ | कु-काठ १० रुख सम्म (प्रति रुख रु. १००।-) | १,०००।- | |
| ५ | १० रुख भन्दा माथि प्रति रुख थप | १५०।- | |
| ६ | बाँस प्रति गोटा | ५।- | |
| ७ | दाउराको रुपमा प्रयोग हुने प्रति क्वीटल | ५०।- | १५०।- |
| | **एकसाभेटर तथा जेसीबि गापामा सूचीकृत सेवा शुल्क** (एक आर्थिक वर्षको लागि) | | |
| क) | १०० C.C. भन्दा माथिको क्षमता भएको एक्साभेटर | ५,०००।- | |
| ख) | २०० C.C. भन्दा माथि वा सो सरह क्षमता भएको एक्साभेटर | ७,०००।- | |
| ग) | ३०० C.C. भन्दा माथि वा सो सरह क्षमता भएको एक्साभेटर | १०,०००।- | |
| घ) | जे.सी.बि. | ३,०००।- | |
| ङ) | Roller ग्रेडर | ३,०००।- | |

**अनुसूची - १४**

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

**विक्री दर**

| क्र.सं. | सामाग्रीहरु | इकाई | विक्री दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, रोडा, ग्राभेल (नीजि खानी बाट नदिजन्य पदार्थ समेत) | प्रति घन फिट | प्रदेश सरकारबाट तोके बमोजिमको दर लोडिङ्ग प्रति क्यूफिट : रु.१।- | |
| २ | माटो निकासी | प्रति घन फिट | प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम | |
| २ | वोलपत्र वा दरभाउ पत्र फाराम | प्रति थान | रु १००० वा सो भन्दा माथि ( सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार) | |

## अनुसूची - १५

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)

### सम्पत्ति भाडा

| क्र सं | सम्पत्ति | भाडा दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | ठुलो हल (प्रति दिन) | १,०००।- | २५ जना माथि |
| २ | सानो हल (प्रति दिन) | ५००।- | २५ जनासम्म |
| ३ | Total Station (प्रति दिन) | १,५००।- | |
| ४ | Lebal Machine | १०००।- | |

## अनुसूची - १६

(दफा १७ को उपदफा (१) संग सम्वन्धित)

### दण्ड जरिवानाको दर

| क्र. सं. | कसूर | दण्ड जरिवाना (रु.) |
|---|---|---|
| १. | चालु आ.ब. भित्र मालपोत, सम्पत्ति कर, सवारी कर, विज्ञापन कर तथा जडिबुटी, कवाडी, जिवजन्तु कर नतिरेमा | पहिलो वर्षको लागि १० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष देखि प्रतिवर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले |
| २. | ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन तथा बिक्रीको अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवसायी वा संस्थाले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेमा वा अनुमति बेगर उत्खनन वा बिक्री गरेमा | उत्खनन/निकासी गरेको परिमाण जफत गरी प्रथम पटक टेक्टरलाई रु. १०,०००।- दोश्रो पटक बिस हजार र प्रथम पटक टिप्परको रु. २०,०००।- दोश्रो पटक रु. ४०,०००।- जरिवाना गरिनेछ। |
| ३. | नक्सा पास नगरी घर/भवन निर्माण कार्य गरेमा | २,०००।- (दुइ हजार रुपैंया) जरिवाना |
| ४. | जथाभावी फोहोर मैला निष्काशन गरेमा | पहिलो पटक रु. २,०००।- त्यसपछि हरेक पटक दोब्बर गरि बढिमा ५०,०००।- सम्म |
| ५. | गाउँपालिकामा दर्ता वा इजाजत नलिई नयाँ व्यवसाय संचालन गरेमा | रु. २,०००।- देखि रु.५,०००।- सम्म जरिवाना। |
| ६. | गाउँपालिकाले निषेध गरेका क्रियाकलाप संचालन गरेमा | गाउँ कार्यपालिकाले निणर्य गरे बमेजिम रु. १,००,०००।- सम्म |

### घर नक्शा पास दस्तुर

| सि· नं· | भौतिक संरचनाको विवरण | करको दर (प्रति वर्ग फिट) रु | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नक्शा पास क्षेत्र | | | |
| | | क | ख | ग | घ |
| १· | आर· सि· सी· फ्रेम स्ट्रक्चर | | | | |
| क) | भूमिगत तल्ला | २।५०- | २।२५ | २।- | ।५० |
| ख) | जमिन तल्ला | ३।- | २।७५ | २।५०- | |
| ग) | पहिलो तल्ला | ३।५०- | ३।२५ | ३।- | |
| घ) | दोश्रो तल्ला | ४।- | ३।७५ | ३।५- | |
| ङ) | तेश्रो तल्ला | ४।५०- | ४।२५ | ४।- | |
| च) | चौथो तला | ५।- | ४।७५ | ४।५- | |
| छ) | पाँचौ तल्ला वा सो भन्दा माथि | ७।५- | ६।- | ५।- | |
| २ | सिमेन्टको जोडाईमा इटा ढुंगाको गारो, आर·सि·सि· टायल | २।५।- | २।- | १।५- | |
| ३ | सिमेन्टको जोडाइमा इटा वा ढुंगाको गारो, आर·सि·सि·, जस्ता पाताको छाना | २।- | १।५- | १।- | |
| ४ | माटोको जोडाईमा इटा वा ढुंगाको गारो | १।५- | १।- | ।५०- | |
| ५ | अन्य घर (माटोको जोडाई इटा वा ढुंगाको गारो | १।- | ।५०- | ।२५ | |
| ६ | नक्सापास सेवाशुल्क दस्तुर | दस्तुरको १०प्रतिशत | | | |

## फिल्ड रेखाकंन दस्तुर

| वडा नं. | प्रति कित्ता दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|
| १ चिर्तुङ्गधारा | १,५००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| २ पोखराथोक | १,५००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ३ नायरनमतलेस | १,५००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ४ खानीछाप | २,०००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ५ दर्लमडाँडा | २,०००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ६ यम्घा | २,०००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ७ खानीगाउँ | १,८००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ८ बराङ्गदी | १,८००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |
| ९ चापपानी | १,८००।- | सो सँग जोडिएका थप कित्तामा प्रति कित्ता रु. ३००।- थप |

# FIELD & LABORATORY TEST RATE

| S.N. | Name of the Test | Rate (NRs.) | Unit |
|---|---|---|---|
| **A** | **Aggregate/Soil** | | |
| 1 | Aggregate Crushing Value Test | 600 | |
| 2 | Aggregate Impact Value Test | 500 | |
| 3 | Flakiness Index | 500 | |
| 4 | Field Density Test | 3000 | per set |
| 5 | Organic Impurities of Fine Aggregate | 500 | |
| 6 | Proctor Compaction (Modified) | 3000 | per set |
| 7 | Sieve Analysis | 1000 | |
| 8 | Sampling from Surface Base Sub-base & Sub-grade | 1000 | |
| | | | |
| **B** | **Cement & Concrete** | | |
| 1 | Compressive Strength of Concrete Cube/ Mortar | 150 | per piece |
| 2 | Making Mortar Cubes (70.7mmX70.7mm) | 400 | per piece |
| 3 | Making Concrete Cube | 400 | per piece |
| 4 | Slump Test | 300 | per piece |
| | | | |
| **C** | **Bricks** | | |
| 1 | Compressive Strength Test (5 nos.) | 1100 | Per Set |
| 2 | Absorption Test, 24 Hrs in Water (5 nos.) | 1000 | Per Set |
| 3 | Measurement of Brick (5 nos.) | 400 | Per Set |
| **D** | **Core Cutting** | | |
| 1 | Core Cutting | 500 | Per Sample |
| **E** | **Drinking Water** | | |
| 1 | lab test | 200 | Per Sample |